

Date - 08/08/2025

सूचना

महाविद्यालय द्वारा समस्त छात्राओं को सूचित किया जाता है कि पीएम विद्यालक्ष्मी योजना (PM Vidya Lakshmi Yojana) केंद्र सरकार की एक पहल है जो छात्रों को शिक्षा ऋण प्राप्त करने में मदद करने के लिए शुरू की गई है। यह योजना छात्रों को एक ही प्लेटफॉर्म पर कई बैंकों से शिक्षा ऋण के लिए आवेदन करने की सुविधा प्रदान करती है।

मुख्य बातें:

एकल प्लेटफॉर्म:

यह योजना छात्रों को विभिन्न बैंकों से शिक्षा ऋण के लिए आवेदन करने के लिए एक सामान्य ऑनलाइन पोर्टल प्रदान करती है।

छात्रवृत्ति और योजनाएं:

यह पोर्टल विभिन्न छात्रवृत्ति और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी भी प्रदान करता है, जिससे छात्रों को अपनी पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद मिलती है।

आसान पहुंच:

यह योजना शिक्षा ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाती है, जिससे छात्रों को बिना किसी परेशानी के ऋण मिल सके।

अधिकतम ऋण राशि:

इस योजना के तहत, छात्रों को 10 लाख तक का शिक्षा ऋण मिल सकता है।

ब्याज सब्सिडी:

जिन छात्रों की पारिवारिक आय 8 लाख प्रति वर्ष से कम है, उन्हें 3% ब्याज सब्सिडी भी मिल सकती है.

गारंटी:

सरकार 7.5 लाख रुपये तक के ऋण पर 75% क्रेडिट गारंटी भी प्रदान करती है, जिससे बैंकों को कवरेज बढ़ाने में मदद मिलती है.

डिजिटल प्रक्रिया:

योजना पूरी तरह से डिजिटल है, जिससे आवेदन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो जाती है.

पात्रता:

भारतीय नागरिक होना चाहिए.

उच्च शिक्षा के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश लिया हो.

8 लाख प्रति वर्ष से कम पारिवारिक आय वाले छात्रों को 3% ब्याज सब्सिडी मिल सकती है.

आवेदन प्रक्रिया:

विद्यालक्ष्मी पोर्टल (www.vidyalakshmi.co.in) पर जाएं.

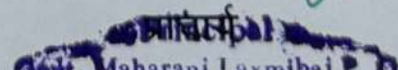
अपना खाता बनाएं और लॉग इन करें.

शिक्षा ऋण के लिए आवेदन पत्र भरें.

आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.

आवेदन जमा करें.

यह योजना शिक्षा ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाकर छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।



Govt. Maharani Laxmibai P. O.
Girls College, Fort, INDORE
Ph. 0731-2411696